



**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI-1**

F.No.ADMN/7/27/2017-WS

Dated the 13 Feb., 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Special Programme on Pension and other Retirement Benefits (PRB-09) for Under Secretaries/Section Officers and equivalent officers dealing with Pension cases from 01.05.2017 to 04.05.2017 at ISTM, New Delhi.

The Institute of Secretariat Training & Management, New Delhi has invited nominations for **Special Programme on Pension and other Retirement Benefits (PRB-2) for officers (US/SO and equivalent officers) dealing with Pension and Other Retirement Benefits from 01.05.2017 to 04.05.2017 at ISTM, New Delhi.** The details of the Programme are as under:-

Broad Contents of the Course:

- Scope and applicability of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
- Calculation of qualifying Service, average emoluments, determination and authorisation of the amounts of pensionary benefits.
- Preparation of pension papers on retirement and on death of a Govt. servant.
- Provisions relating to encashment of leave and TA on Retirement/Death of a Govt. Servant.
- Scope and applicability of the General Provident Fund (Central Services) rules, 1960.
- Provisions relating to Central Govt. Employees Group Insurance Scheme
- Overview relating to New Pension Scheme.

Eligibility: Under Secretaries/Section Officers and equivalent officers dealing with Pension and Other Retirement Benefits.

The Officers who are desirous to attend the said programme may send their nomination to the Council in the prescribed nomination form through proper channel latest by **10.03.2017** for onward transmission to ISTM, New Delhi. **The Nomination Form may be downloaded from ICAR website under Col. Circular / Work Study Section/Revised Nomination Form for ISTM training programme.**

The Officials who have already attended this training course need not apply. The applicants will not be allowed to withdraw their nominations after acceptance by ISTM, New Delhi.

Suparna Dasgupta
(Suparna Dasgupta)
Under Secretary (WS)
Fax: 23387293
E-mail ID: suparna.icar@nic.in

Distribution:

1. All Officers/Sections of ICAR Hqrs. KB/KAB-I & II/NASC through web-site.
2. All the Directors of ICAR Institutes/NRCs / PDs/Bureaux through web-site.
3. ISO, DKMA, KAB-I, Pusa for uploading the same on the ICAR website
4. Guard File.



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001

फा०सं० प्रशा०-7/97/2017- का०अ०

दिनांक 13 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 01.05.2017 से 04.05.2017 तक 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (पी.आर.बी 2-09)' पर विशेष कार्यक्रम।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मामलों को देख रहे अधिकारियों (अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी तथा समकक्ष) के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 01.05.2017 से 04.05.2017 तक 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (पी.आर.बी 2-09)' पर विशेष कार्यक्रम के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नामांकन आमंत्रित किये गये हैं। कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है:-


पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु:-

- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 का कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता
- अर्हक सेवा, औसत परिलब्धियों की गणना, तथा पेंशन की राशियों का निर्धारण तथा प्राधिकरण
- सरकारी कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर तथा मृत्यु होने पर पेंशन कागजात तैयार करना।
- सरकारी कार्मिक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर यात्रा भत्ता से संबंधित उपबंध
- सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 का कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता
- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना से संबंधित उपबंध
- नई पेंशन योजना से संबंधित उपबंध

पात्रता:- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मामलों को देख रहे अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी तथा समकक्ष अधिकारी।

वे अधिकारी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने नामांकन प्रपत्र सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से परिषद को दिनांक **10.03.2017** तक भेज दें ताकि उसे सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली को अर्पित किया जा सके। नामांकन पत्र आईसीएआर वेबसाइट के (सर्कुलर/वर्कस्टडी/आईएसटीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संशोधित नामांकन पत्र) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

जो अधिकारी इस कार्यक्रम में पहले ही भाग ले चुके हैं वे इसके लिए पुनः आवेदन न करें। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नामांकन स्वीकारोक्ति के पश्चात आवेदक को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।



(सुपर्णा दासगुप्ता)
अवर सचिव (का०अ०)

वितरण

1. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय, कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन 1 व 2 तथा एनएएससी स्थित समस्त अधिकारी/ अनुभाग को वेबसाइट के माध्यम से।
2. भा.कृ.अ.प. के समस्त संस्थानों /रा.अ.के./प्रा.नि./ब्यूरो के निदेशक।
3. आई.एस.ओ. डीकेएमए, कृ.अ.भ.- 1 पूसा, नई दिल्ली को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।